



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाईट - [www.cgaupcb.in](http://www.cgaupcb.in), ई-मेल - [registrar@cgaupcb.in](mailto:registrar@cgaupcb.in)

क्रमांक-01/बोर्ड/स्था.-सूचना/ 2023/1293

रायपुर, दिनांक 27/06/2023

-:: सूचना ::-

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के अधिसूचना दिनांक 17 मई 2023 के तारतम्य में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के बी.एन.वाय.एस. उपाधिधारकों का पंजीयन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में किया जा रहा है।

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे स्थानीय राज्य बोर्ड में पंजीयन के पश्चात् ही राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करें अन्यथा यह छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के विपरीत होगा जिसके लिए संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :- अधिसूचना।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति  
एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर (छ.ग.)

\*\*\*\*

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

22/6/2023

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2023 — ज्येष्ठ 24, शक 1945

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 21-01/2006/55-1.— छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, रतद्वारा, अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम में :-

1. अनुसूची भाग 'क' में क्रमांक 16 के पश्चात निम्नलिखित "शब्द, अंक तथा चिन्ह" अंतः स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

17	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
18	पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.

2. अनुसूची भाग 'ख' में क्रमांक 13 के पश्चात निम्नलिखित "शब्द, अंक तथा चिन्ह" अंतः स्थापित किया जावे, अर्थात् :-


13(क)	बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ आंध्रप्रदेश (एनडी)	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
13(ख)	उस्मानिया युनिवर्सिटी (एनडी फ़ाम हैदराबाद)	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
13(ग)	डॉ. एनटीआर युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.

3. अनुसूची भाग 'ख' में क्रमांक 21 के पश्चात निम्नलिखित "शब्द, अंक तथा चिन्ह" अंतः स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

21(क)	गुजरात आयुर्वेद युनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
-------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------

- अनुसूची भाग 'ख' में क्रमांक 48 के पश्चात निम्नलिखित "शब्द, अंक तथा चिन्ह" अंतः स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

	द तमिलनाडु डॉ. एन.जी.आर. मेडिकल युनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
--	---	-------------------------------------	---------------



5. अनुसूची भाग 'ख' में क्रमांक 64 के पश्चात निम्नलिखित "शब्द, अंक तथा चिन्ह" अंतः स्थापित किया जावे, अर्थात :-

**कर्नाटक**

64(क)	मैंगलोर युनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
64(ख)	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
64(ग)	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान (एसव्हीवाईएसएस) युनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.

**मध्यप्रदेश**

64(घ)	बरकतउल्लाह युनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.
64(ङ)	मध्यप्रदेश मेडिकल साइंसेस युनिवर्सिटी, जबलपुर	बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगिक साइंस	बी.एन.वाई.एस.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव अहिरे, उप-सचिव.



Atal Nagar, the 17th May 2023

## NOTIFICATION

F.No. 21-01/2006/55-1.— In exercise of the powers, conferred by Section 37 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Schedule of the Act, namely :-

## AMENDMENTS

In the said Act :-

1. After serial number 16, in schedule 'A', the following "word, number and sign" shall be inserted, namely :-

17	Chhattisgarh Ayush and Health Science University, Raipur (C.G.)	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
18	Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University, Raipur (C.G.)	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.

2. After serial number 13, in schedule 'B', the following "word, number and sign" shall be inserted, namely :-

13(A)	Board of Indian Medicine, Govt of Andhra Pradesh (ND)	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
13(B)	Osmania University (ND from Hyderabad)	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
13(C)	Dr. NTR University of Health Sciences	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.

3. After serial number 21, in schedule 'B', the following "word, number and sign" shall be inserted, namely :-

21(A)	Gujarat Ayurveda University	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
-------	-----------------------------	---	----------

4. After serial number 46, in schedule 'B', the following "word, number and sign" shall be inserted, namely :-

46(A)	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
-------	--	---	----------

5. After serial number 64, in schedule 'B', the following "word, number and sign" shall be inserted, namely :-

Karnataka

64(A)	Mangalore University	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
64(B)	Rajiv Gandhi University of Health Sciences	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
64(C)	Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (SVYASA) University	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.

**Madhya Pradesh**

64(D)	Barkatullah University	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.
64(E)	Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur	Bachelor of Naturopathy and Yogik Science	B.N.Y.S.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RAJEEV AHIRE, Deputy Secretary.